

# वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं०.....21...../जो० अ०

दिनांक.....28-11-2020


### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री मंशा राम  
पिता/पति का नाम श्री गुरु चरण आराजी संख्या 96039601310 मौजा रेडे  
वार्ड शिवापुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.....20



कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण  
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृत पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झॉप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चों से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

## शर्तें

1. भवन पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य को वाटर ग्राउण्ड बोर्ड की डिजाइन पर तैयार कराकर आर्किटेक्ट से पुष्टि एवं सतोषजनक प्रमाण देने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के द्वारा जारी एन0ओ0सी0 के शर्तों का अनुपालन करना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व अन्तिम एन0ओ0सी0 प्राप्त करना होगा।
4. टैरेस के छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो वोल्टाइक सोलर पैनल की स्थापना करना होगा।
5. भू-स्वामित्व विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. एन0जी0टी0 के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
8. पी0एन0जी0 गैस हेतु पाईप लाईन पृथक से डाली जायेगी। इस हेतु प्राविधान करना होगा।
9. अवशेष लेवर सेस, लेवर सेस विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
10. स्थल पर 47 वृक्ष लगाना होगा।
11. रेसा के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
12. भवन पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी का गठन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीन माह के अन्दर एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करना होगा।
14. पक्ष द्वारा स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा। जिस पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धित विवरण अंकित होगा।
15. पक्ष द्वारा दिये गये शपथ के शर्तों का अनुपालन करना होगा।

  
27/11/20  
82

  
28/11